



सत्यमेव जयते

सी० सं० 57(22) निबन्धन/जा.बाद/2003-04

/दिनांक 08-10-2003

भारत सरकार

(वित्त-मंत्रालय)

कार्यालय आयकर आयुक्त

सी० जी० ओ० कामपलेक्स-1, हाण्डे रोड, गाजियाबाद

विषय : आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12-कक में निबन्धन हेतु

न्यास/संस्था का नाम एवं पता


आरुथ सोसायटी, 5-414, सेक्टर-21, नोएडा

दिनांक 30-11-2003 को न्यास/संस्था ज्ञापन द्वारा गणित उपर्युक्त न्यास/संस्था ने आयकर अधिनियम

1961 की धारा 12-कक के अन्तर्गत निर्धारित फार्म में पंजीकरण हेतु आवेदन निर्धारित समय के भीतर दिया है। इसलिए निबन्धन आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12-कक के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाता है।

आवेदन की प्रविष्टि कार्यालय में रखे गये धारा 12-कक के आवेदन रजिस्टर में क्रम संख्या 22/2003-04 पर की गई है।

सील



(दिविजय कुमार)  
आयकर आयुक्त  
गाजियाबाद

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. 2921 न्यास/संस्था आरुथ सोसायटी, 5-414, सेक्टर-21, नोएडा को कृपया यह बतायें कि न्यास/संस्था आयकरदाता की सूची में है? यदि ऐसा है तो कृपया पूर्ण विवरण के साथ स्याई लेखा संख्या भी बतायें।
2. आयकर अधिकारी/सहायक आयकर आयुक्त/उपायुक्त आयकर/वार्ड/सर्किल नो. 123 को इस आशय के साथ कि न्यास/संस्था से लेखा विवरण, संगठन के विलेख / स्मृति-पत्र की प्रति आदि आवश्यक कार्यवाही के लिये संलग्न है।
3. अपर /संयुक्त आयकर आयुक्त, सेक्टर, नो. 123 को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

एन० के० छिन्बर

आयकर अधिकारी (तकनीकी)  
आयकर आयुक्त (तकनीकी)  
कृते-आयकर आयुक्त, गाजियाबाद